an>

Title :Need to pass the Constitution (117th Amendment) Bill, 2012 pertaining to reservation in promotion to SCs and STs.

श्री हरीश मीना (दौसा) ः मैं सरकार का ध्यान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उन पीड़ित अधिकारियों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जिन्हें कोर्ट के विभिन्न आदेशों के तहत पदोन्नति में आरक्षण से वंचित किया जा रहा है न केवल वंचित बल्कि बहुत सारे मामले में तो उन्हें पदावनत भी कर दिया गया है। इस शोषण को रोकने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित 117वां संविधान संशोधन बिल, 2012 को 17 दिसम्बर, 2012 में पास किया गया था लेकिन लोक सभा में इसे पुनः पेश नहीं किया गया है।

हाल ही में मार्च, 2016 में सर्वोच्च न्यायालय का सुरेश चंद बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के एक फैसले से अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के पदोन्नति में आरक्षण नहीं देने से पीड़ित लोगों के लिए कोई जुडिशियल रेमेडी भी उपलब्ध नहीं पा रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस फैसले में कहा कि राज्य सरकार के पास पदोन्नति में आरक्षण केवल डिस्क्रिशनरी शक्ति है और कोर्ट राज्य सरकारों को आदेश नहीं दे सकती है।

संसदीय अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वेलफेयर कमेटी ने इसकी 26वीं रिपोर्ट, "Review of representation of SCs and STs in senior positions of Government of India" जिसे मार्च, 2013 को संसद में प्रस्तुत किया गया था जिसकी Action Taken Report (ATR) भी संसद में अप्रैल, 2015 में प्रस्तुत की जा चुकी है। कमिटी ने अपनी 26वीं रिपोर्ट में बताया था कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों का ब्यूरोक्रेसी में नगण्य स्थान है। अगर इसकी वर्तमान स्थिति की जानकारी ली जाये जो आज भी भारत सरकार में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की संख्या सचिव, अतिरिक्त सचिव एवं संयुक्त सचिव के पदों पर नगण्य ही है।

उक्त वर्गों के लोग वैसे ही सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक रूप से अभी भी अच्छी स्थिति में नहीं है और उनके प्रशासनिक सेवाओं में भी संवैधानिक अधिकार अगर छीन लिए जाते हैं तो यह घोर अन्याय होगा। न्याय पालिका इसमें एक बड़ी बाधा है। यदि हमें इसे सुनिश्चित करना है तो सर्वप्रथम न्याय पालिका में आरक्षण का प्रावधान लाना पड़ेगा।

अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि 2012 से लंबित पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित बिल को सरकार जल्द से जल्द संसद में पेश कर पास करवाएं और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को उनका संवैधानिक अधिकार दिलवाए।